16/2015

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉं, आर०ए०एस०

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं० 16/15

ग्राम पंचायत कोठा जरिये उप सरपंच दिलेरसिंह

निगरानीकर्ता

बनाम

1. निर्मलसिंह
2. मन्दरसिंह पिसरान दलीपसिंह जाति तरखान
3. जोगेन्द्रसिंह
4. महेन्द्रसिंह पिसरान अर्जनसिंह जाति रायसिख
5. चगड़सिंह पुत्र संतसिंह जाति तरखान
6. वकील चन्द पुत्र हरबक्श राय बहड़ महाजन
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र वकील चन्द बहड़ महाजन
8. सुभाष चन्द पुत्र किशन लाल महाजन
9. कंवरसिंह पुत्र धारासिंह रायसिख
10. कुलजीतसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति जटसिख
11. बिट्टु पुत्र कुलवन्तराय सीमेन्ट वाले महाजन
12. रामा उर्फ राम लाल पुत्र सगन लाल मक्कड़
13. कलवन्त मिस्त्री पुत्र दरबारासिंह
14. मन्दरसिंह पुत्र दर्शनसिंह खराद वाले
15. जनक राज पुत्र जगन्ननाथ महाजन
16. बहालसिंह पुत्र कुण्डासिंह तरखान
17. इकबालसिंह पुत्र नाजरसिंह तरखान दुकानदार
18. परमजीतसिंह पुत्र दर्शनसिंह महरा दुकानदार
19. बिशम्बरलाल दुकानदार
20. रूड़सिंह पुत्र लाभसिंह महरा
21. राजकुमार पुत्र सगन लाल मक्कड़ दुकानदार
22. तेजा गुरमेज पुत्र जीतसिंह तरखान खरादवाले
23. गिरधारी लाल
24. प्रेमकुमार पिसरान गिरधारी लाल
25. विजयकुमार पुत्र गिरधारी लाल पंडत
26. मोहन लाल पुत्र वकील चन्द मक्कड़ दुकान वाले
   पिसरान कोठा तहसील व जिला श्री गंगानगर।
27. स्टेट जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री गंगानगर।

अप्रार्थीगण

निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97

उपस्थित :

1. श्री दिलेरसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. जसवीरसिंह मिसन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 5–6–12–13–17–18–19–21 की ओर से।
3. शेष अप्रार्थीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

19

16
प्रवड - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक :

प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि गॉव कोठा के दक्षिण में जोहड़ है, जिसका एरिया राजस्व पटवारी द्वारा 10 बीघा से ज्यादा दिया हुआ है। गॉव के जोहड़ में पिछली पंचायतों द्वारा 4 बीघा में वार्टर वर्क्स, पॉच दुकानों का निर्माण, पशु चिकित्सालय, सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है, जिससे जोहड़ का रकबा काफी कम हो गया है। गॉव कोठा में जोहड़ की जमीन पर विभिन्न सरपचों द्वारा बिना मन्जूरी के अलाट कर दी गई है। भूतपूर्व सरपंच अवतारसिंह ने गौरीशंकर खुद को, उसके तीन लड़कों रंजीतराय, हकीकत राय को जोहड़ की जमीन में पट्टे काट दिये हैं। भूतपूर्व सरपंच शंकरसिंह ने चगड़सिंह, शंकरसिंह खुद, संगनलाल, गिरधारी लाल व उसके लड़कों बाघसिंह जो उसके नाम से कैन्सिल होकर और किसी के नाम जारी कर दिया गया है, को अलाट किये गये हैं। सरपंच कुलजीतसिंह ने गॉव में प्रवेश करने के लिए जो गली थी, उसी को ही दुकानें बनाकर 15 फुट लम्बाई में सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री वकील चन्द, बैण्ड फतेहचन्द बानिया, मुन्दरसिंह पुत्र दलीपसिंह को अलाट किया हुआ है। गिरधारी पंडत व उसके लड़कों ने अपने प्लाट बेचान कर दिये हैं और मौके पर आठ दुकानें चल रही है। रूड़सिंह ने अपना मकान विशम्बर व हरनामसिंह को बेच दिया है। फतेहचन्द अपना प्लाट बेच चुका है। गौरीशंकर व उसके लड़कों ने अपने प्लाट बेच दिये हैं। नवनीतराय जो गंगानगर में रह रहा है और सरकारी नहरी पटवारी की सर्विस में था। जोहड़ पर धर्मशाला का निर्माण एक बार सरपंच कुलजीतसिंह ने व दूसरी बार सरपंच अन्जूबाला ने करवाया है। ठेकेदार द्वारा सरपंच व सचिव को मोटी रकम देकर गहरे जोहड़ में डिग्गियॉ बनाई गई और वोट लेने के समय जोहड़ को अलाट कर दिया गया। विभिन्न लोगों ने जमीन खरीद कर 25 दुकानें जोहड़ में बना ली है। जोहड़ की जमीन पर गहरे खड्डे बने हुए थे, जो गॉव की पानी निकासी का जरिया था। दो बीघा जोहड़ में सारे गॉव का पानी कैसे समा सकता है। जोहड़ खत्म होंने से वाटर वर्क्स की डिग्गियों की दिवारें टूट जाती हैं और गंदा पानी डिग्गियों में चला जाता है, जो गॉव वालों को पीना पड़ता है। दूसरी ओर मकान नीचा होने के कारण टूट जाते हैं और सरकार को भरपाई करनी पड़ती है। इस प्रकार, निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर, सरकारी निर्माण अन्य जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया जावे तथा विभिन्न सचिवों ने सरकारी निर्माण करवाये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही के आदेश फरमाये जावें तथा जोहड़ को खाली करवाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि सरकारी निर्माण अन्य जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया जावे तथा विभिन्न सचिवों ने जो सरकारी निर्माण करवाये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही के आदेश फरमाये जावें तथा जोहड़ को खाली करवाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत कोठा का उपसरपंच है। सारे गॉव की शिकायत निगरानी के माध्यम से की गई है। समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा जो आवंटन किये गये हैं, वे विधिसम्मत् कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए किये गये हैं। जोहड़ की भूमि पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, धर्मशाला, वाटर वर्क्स, पशु चिकित्सालय, दुकानों आदि का निर्माण करवाया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा अलॉट किया

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

जाकर वितिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद बजट उपलब्ध कराया जाकर निर्माण करवाया गया है जो आम जन के उपयोग में आ रहा है। भिन्न–2 व्यक्तियों को आवंटित भूखण्डों के पट्टों को एक ही निगरानी से चुनौति दी गई है। किसी भी आवंटन/पट्टे की दिनांक का अंकिन नहीं किया गया है। प्रत्येक आवंटन की पृथक–2 निगरानी की जानी चाहिये थी। आवंटन काफी पुराने हैं। इतने पुराने आवंटन को आज निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से किसी विशिष्ठ आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष नहीं चाहा है, बल्कि जोहड़ पर बने राजकीय भवन जिसमें पॉच राजकीय दुकानें, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक भवन हरिजन , वाटर वर्क्स एवं विभिन्न आवंटित भूखण्डों को निरस्त कराने का अनुतोष एक ही निगरानी के माध्यम से चाहा गया है।

निगरानी के साथ निगरानीकर्ता द्वारा निम्न दस्तावेजों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं :–

क्र. सं.	दिनांक	नाम आवंटी	भूखण्ड/पट्टा सं0	विशेष विवरण
1.	30–01–67	नवनीतराय पुत्र गौरीशंकर अरोड़ा	385/2	गॉव के दक्षिण में
2.	30–10–67	रणजीतराय पुत्र गौरीशंकर अरोड़ा	386	,,
3.	30–10–67	हकीकतराय पुत्र गौरीशंकर अरोड़ा	387/4	,,
4.	30–10–67	गौरीशंकर पुत्र मुकन्द लाल अरोड़ा	388/3	,,
5.	20–08–78	शंकरसिंह पुत्र मोहरसिंह रायसिख	501	
6.	05–09–78	सगन लाल पुत्र चोपाराम अरोड़ा	502	
7.	05–08–78	गिरधारी पुत्र टीकनदास ब्रहामण	503/2	
8.	20–07–79	बाघसिंह पुत्र पहाड़ासिंह रामगढिया	505/6	
9.	20–07–84	जीतसिंह पुत्र हरचन्दसिंह	505/81	बाघसिंह से भूखण्ड निरस्त -जीतसिंह को निलामी में आवंटित
10.	05–08–78	गिरधारी लाल पुत्र टीकनदास	पट्टा सं02	मौके पर सात दुकानें हैं।
11	05–01–91	मोहन लाल पुत्र वकील चन्द अरोड़ा	ए/9	
12.	,,	मन्दिरसिंह पुत्रदलीपसिंह रामगढिया	ए/8	
13.	20–01–83	रूड़सिंह पुत्र लाभसिंह	एसपी–9	
14.	06–01–87	सुभाषचन्द्र पुत्र किशन लाल	510	
15.	25–09–81	प्रेमकुमार पुत्र गिरधारी लाल	502	
16.	,,	विजयकुमार पुत्र गिरधारी लाल	अंकन नहीं	

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा एक ही निगरानी के माध्यम से सभी अप्रार्थीगण के विरूद्व पट्टे निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है, न्यायोचित नहीं है। जोहड़ पायतन की भूमि पर बने वार्टर वर्क्स, पॉच दुकानों का निर्माण, पशु चिकित्सालय, सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण होने के तथ्यों का उल्लेख किया है। उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये हैं, जो सार्वजनिक उपयोग के हैं। भूखण्डों के आवंटन वर्ष 1967 से लेकर 1991 के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

16/805

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

मध्य के बताये गये हैं, जिनके पट्टे निरस्त कराने के लिए लगभग पचास वर्ष बाद निगरानी प्रस्तुत की गई है। इतने भारी विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। जोहड़ की भूमि होने के संबंध में राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ पेश नहीं की गई है, जिससे यह पता नहीं चलता है कि आवंटन जोहड़ पायतन की भूमि में हुआ है अथवा नहीं। निगरानीकर्ता द्वारा एक हाथ से तैयार किया हुआ नक्शा पेश किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जोहड़ पायतन का कुल रकबा 10 बीघा से ज्यादा है, कुल 8 बीघा में निर्माण कार्य है, बाकी 2 बीघा रकबा शेष रह गया है, मौका पर 22 दुकानें जोहड की जमीन पर चल रही हैं। ये सब तथ्य जॉच के हैं। मेरे विनम्र मत में न्यायहित में यह उचित रहेगा कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री गंगानगर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर, जिसमें राजस्व पटवारी को सम्मिलित करते हुए विस्तृत जॉच करवानी जानी चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण जॉच हेतु विकास अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री गंगानगर को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार आदेश में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक जॉच कमेटी का गठन कर, जिसमें राजस्व पटवारी को भी सम्मिलित करते हुए विस्तृत जॉच करवाई जावे। जॉच उपरांत यदि जोहड़ पायतन की भूमि पर नियमविरूद्व ग्राम पंचायत, कोठा द्वारा पट्टे जारी किये जाने पाये जाते हैं तो प्रत्येक पट्टे के विरूद्व पृथक–2 निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानानुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति के साथ ग्राम पंचायत कोठा से प्राप्त रेकार्ड विकास अधिकारी, श्री गंगानगर को भेजा जावे एवं प्रति ग्राम पंचायत कोठा को दी जावे।

आदेश आज दिनांक 22.02.2017 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह०
22/2/17
(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner